

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
चन्दौली।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,
राजकीय,अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित
उ०मा०वि०/इण्टर कालेज,
जनपद-चन्दौली।

पत्रांक: / 524-27

/2024-25

दिनांक 6.5.24

विषय:-मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य अवधि निर्धारण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के भाग-2 (ख) के अध्याय-बारह के विनियम-5(1) में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 उ०प्र०,शासन के पत्र संख्या 543 / 15- 7-2024 दिनांक 03 मई,2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य अवधि निर्धारण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के भाग-2 (ख) के अध्याय-बारह के विनियम-5 (1) में संशोधन करते हुए विद्यालय में शिक्षण एवं पाठयानुवर्ती कार्य-कलापों के संचालन हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:-

"विद्यालय, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी,जिनमें परीक्षाओं तथा पाठयानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस भी सम्मिलित हैं, विद्यालयों में शिक्षण एवं पाठयानुवर्ती कार्य-कलापों की अवधि प्रतिदिन न्यूनतम 06 घण्टे (प्रार्थना सभा एवं विश्रान्ति काल को सम्मिलित करते हुए) होगी। अपरिहार्य स्थिति में,विद्यालय बन्द किये जाने की दशा में, अवशेष घण्टों की पूर्ति विद्यालय संचालन अवधि की सीमा में बढ़ाकर किया जायेगा। विद्यालयों का संचालन निम्नवत् किया जायेगा:-

(1) 01 अप्रैल से 30 सितम्बर - प्रातः 7.30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 7.45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 10:25 बजे से 25 मिनट, 10.50 से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराह्न 1.30 बजे तक।

(2) 01 अक्टूबर से 31 मार्च - प्रातः 9.30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 9.45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 12:25 बजे से 25 मिनट का, 12.50 से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराह्न 3.30 बजे तक।

प्रतिबन्ध यह है कि "पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजना" के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध में कार्य दिवसों की उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दिवस होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पाठय-सामग्री की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा।"

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 03 मई,2024 में वर्णित दिशा-निर्देशानुसार विद्यालय में शिक्षण एवं पाठयानुवर्ती कार्य-कलापों सम्पादित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

जिला विद्यालय निरीक्षक
चन्दौली।

तददिनांक

पृ०सं० /

/2024-25

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र०लखनऊ।

2-सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ०प्र०प्रयागराज।

3-संयुक्त शिक्षा निदेशक,वाराणसी मण्डल वाराणसी।

जिला विद्यालय निरीक्षक
चन्दौली।

प्रेषक,

उमेश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ०प्र० लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 03 मई, 2024

विषय:- मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य अवधि निर्धारण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के भाग-2(ख) के अध्याय-बारह के विनियम-5(1) में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-परिषद/44/2024-25 दिनांक-24.04.2024 का कृपया सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य अवधि निर्धारण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के भाग-2(ख) के अध्याय-बारह के विनियम-5(1) में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 24.04.2024 में अवगत कराया गया है कि शासन के पत्र संख्या-1365/15-7-2014-1(29)/2014 दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने के समय परिवर्तन में शिक्षा संहिता के प्रस्तर-86(1) के अनुसार व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा संहिता के प्रस्तर-86(1) में विद्यालय खुलने के समय हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की गयी है:-

प्रस्तर-86 (1) मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय उ०मा० विद्यालयों में शिक्षण कार्य न्यूनतम समय विश्रान्ति के समय को निकाल कर अगस्त से मार्च तक 05 घण्टे 20 मिनट रहेगा और गर्मियों में अप्रैल, मई और जुलाई में, जबकि विद्यालय प्रातःकाल का होता है, 04 घण्टा 35 मिनट रहेगा। पहली बैठक का समय विद्यालय खुलने के समय से लेकर विश्रान्ति काल प्रारम्भ होने तक रहेगा। दूसरी बैठक का समय विश्रान्तिकाल के समाप्त होने समय से लेकर शिक्षण कार्य के समाप्त होने तक रहेगा।

उदाहरण - यदि किसी संस्था में शिक्षण कार्य 10.00 बजे पूर्वान्ह से आरम्भ होता है, तो इसके पूर्व कम से कम 10 मिनट की प्रार्थना सभा 09.50 बजे पूर्वान्ह में आयोजित की जायेगी। विश्रान्ति काल के पूर्व पहली बैठक में 10.00 बजे पूर्वान्ह से 12.40 अपराहन तक 40 मिनट के चार वादन होंगे और दूसरी बैठक में 01.10 अपराहन से 3.50 अपराहन तक 40 मिनट के चार वादन होंगे।

4- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा के लिए 40 क्रेडिट अंक प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए 1200 घण्टे का शिक्षण कार्य एवं अन्य पाठ्य सहगामी कियामों हेतु निर्धारित किया गया है।

5- सूच्य है कि विद्यालयों के समय-निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 के अनुसार मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 7.30 बजे से 12.30 बजे तक तथा 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक शिक्षण अवधि प्रातः 8.50 से अपराहन 2.50 तक निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रार्थना सभा और विश्रान्तिकाल का भी समय सम्मिलित है। उक्त व्यवस्था के अनुक्रम में, संस्थाओं में औसतन 5.00 घण्टे की शिक्षण एवं पाठ्य सहगामी व पाठ्येत्तर क्रियाकलाप सम्पादित हो पाते हैं। उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के भाग-2 (ख) के अध्याय-बारह के विनियम-5(1) के कम में न्यूनतम 220 कार्य दिवसों के अनुसार विद्यालयों में एक शैक्षिक सत्र में $220 \times 5 = 1100$ घण्टे का शिक्षण कार्य एवं पाठ्यसहगामी व पाठ्येत्तर क्रियाकलाप सम्पादित हो पाते हैं, जो कि निर्धारित न्यूनतम शिक्षण कार्य के मानक की पूर्ति नहीं करता है।

6- ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडियट शिक्षा अधिनियम, 1921 के भाग-2 (ख) के अध्याय-सोलह के विनियम-2 में प्रावधान किया गया है कि "उत्तर प्रदेश की शिक्षा संहिता के नियम परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षा संस्थाओं पर लागू होंगे, जहाँ तक कि वे इन विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं।"

7- ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया है कि मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में, एक शैक्षिक सत्र में 220 शिक्षण दिवसों में न्यूनतम 1200 घण्टे का शिक्षण कार्य निर्धारित किये जाने हेतु प्रतिदिन न्यूनतम 06 घण्टे (प्रार्थना सभा एवं विश्रान्ति काल को सम्मिलित करते हुए) का शिक्षण कार्य कराया जाने हेतु उत्तर प्रदेश इण्टरमीडियट शिक्षा अधिनियम, 1921 के भाग-2 (ख) के अध्याय-बारह के विनियम-5(1) में अपेक्षित संशोधन कराया जाय।

8- अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडियट शिक्षा अधिनियम, 1921 के भाग-2 (ख) के अध्याय-बारह के विनियम-5 (1) में निम्नवत् संशोधन किया किया जाता है:-

"विद्यालय, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस भी सम्मिलित हैं, विद्यालयों में शिक्षण एवं पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलापों की अवधि प्रतिदिन न्यूनतम 06 घण्टे (प्रार्थना सभा एवं विश्रान्ति काल को सम्मिलित करते हुए) होगी। अपरिहार्य स्थिति में, विद्यालय बन्द किये जाने की दशा में, अवशेष घण्टों की पूर्ति विद्यालय संचालन अवधि की सीमा को बढ़ाकर किया जायेगा। विद्यालयों का संचालन निम्नवत् किया जायेगा:-

(1) 01 अप्रैल से 30 सितम्बर- प्रातः 7.30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 7.45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 10.25 बजे से 25 मिनट, 10.50 बजे से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराहन 1.30 बजे तक।

(2) 01 अक्टूबर से 31 मार्च- प्रातः 9.30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 9.45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 12.25 बजे 25 मिनट का, 12.50 बजे से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराहन 3.30 बजे तक।

प्रतिबन्ध यह है कि "पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजना" के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध में कार्य दिवसों की उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दिवस होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पाठ्य-सामग्री की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा।"

9- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(उमेश चन्द्र) 15/7/24
विशेष सचिव।

संख्या- /15-7-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित:-

1. शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार)
अनु सचिव